उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-62/2023/एस-2-।/438871/दस-2023-1862/2021

लखनऊ : दिनांक:: 04 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1-(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। (दो) यह 01 जुलाई 2023 से प्रवृत्त होगी।
नियम 17 का प्रतिस्थापन	2- उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
17- ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-दो-ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी दो में चयन, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति पर साधारण श्रेणी के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारियों में से किया जायेगा, जिन्होंने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें चयन किया जाय, उस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जाएगीः- (i) सरकार के वित्त विभाग के यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिवः- अध्यक्ष (ii) सरकार के कार्मिक विभाग के सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न होः- सदस्य (iii) कोषागार निदेशक, उ0प्र0:- सदस्य	17- ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी दो-ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-दो में चयन, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, चयन समिति की संस्तुति पर साधारण श्रेणी के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारियों में से किया जायेगा, जिन्होंने कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें चयन किया गया हो, इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जाएगीः- (एक) वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के यथास्थिति,अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव - अध्यक्ष (दो) कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के यथास्थिति,अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव या उसके नाम निर्देशिती जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो- सदस्य (तीन) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश- सदस्य

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

परन्तु यह कि सरकार विशेष परिस्थितियों में ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-दो में चयन के लिए नियत सेवा सीमा को शिथिल कर सकती है।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 लखनऊ को शासकीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (क) के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
(2) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासिनक अकादमी, लखनऊ।
(4) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) अपर निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(8) कार्मिक नियमावली सेल, उ0प्र0 शासन।
(9) भाषा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजीव सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।